

सेवामे,

दिनांक:

श्रीमान उप वैन संरक्षक,
भरतपुर

विषय :—Diversion of 0.1409 hectare forest land for "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/Approach/149575/2021

संदर्भ :— राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1 (65) वन / 2022 जयपुर दिनांक 09.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एक वृक्ष के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित हैः—

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्त उपाय किये जावें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्त उपाय किये जावें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

देवांश जिंदल (Signature) Jindal

दिल्ली रिटेल रेजियन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन

Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation

12.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समीक्षित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।</p>
13.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालन/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मद्वार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।</p>
14.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p>
15.	<p>राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।</p>
16.	<p>भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>

Place: Kota


 देवांश जिंदल Devansh Jindal
 विद्युत उपकारी / Sales Officer (Bharatpur)
Name: देवांश जिंदल
Office Seal & Signature:
Designation:



राजस्थान
गोपनीय सीजना

राजस्थान सरकार

वन विभाग



क्रमांक: प. 1 (65) वन / 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक 9 JUN 2022

विषय:- Diversion of 0.1409 ha. of forest land in favour of Hindstan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil – Nadabai, District- Bharatpur (FP/RJ/Approach/149575/2021)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (500/43)2021 / एफसीए / प्रमुखस / 1733 दिनांक 18.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत एनएच-11(नया एनएच-21) Chainage 75/776 to 75/824, LHS खसरा नम्बर 476, ग्राम सेवला तहसील नदवई, जिला भरतपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1409 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारपान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1409 ha. of forest land in favour of Hindstan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil – Nadabai, District- Bharatpur की सैद्धान्तिक स्वीकृति हुक्म वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित रथल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रथल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैरा/केरोसिन तैल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्फ के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्फों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होंगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफआरए स्टिर्किंग प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में घोजना पर लागू शामी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, संघीयालय, राजस्थान जयपुर, यूराम संख्या- 0141-2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

Government of Rajasthan/Forest Department/Forest & Environment Sector/Forest

देवांश जिंदल / Devansh Jindal

विद्युत उपकरण विभाग कार्यालय लिमिटेड


Kota Road, Kota 324001, Rajasthan, India

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Scanned with CamScanner



मंत्रालय
औषधि योजना



12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्याय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को रामाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चातम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिपिल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी राशी नियमा प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सेंट्रलिक स्वीकृति की अनुपालना आव्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ड्रिव्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मवदीय,

२०।।
(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर याग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अंति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
5. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
6. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
7. प्रबन्धक, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा रिटेल क्षेत्रीय 3-ए-5, रंगबरी मैन रोड, तलबड़ी, कोटा।
8. रक्षित पत्रावली।

देवांश जिंदल Devansh Jindal
विद्युत अधिकारी Electrical Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्रीय 3-ए-5, रंगबरी मैन रोड, तलबड़ी,
कोटा।

(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी

AGENCY COPY

यूनियन बँक  **Union Bank**
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-07-2022

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLIUM CORPORATION LIMITED
Application No.	70149575422
MoEF/SG File No.	1(65)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	KOTA RETAIL REGION,3-A-5,RANGBARI MAIN ROAD,TALWANDI, KOTAKota
Amount(in Rs)	235751/-

Amount in Words : Two Lakh Thirty-Five Thousand Seven Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508570149575422 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampainfo@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

UTR :- ICICR52022070500608714

DATE :- 05-07-2022

AMOUNT - 235751 = 00

देवांश जिंदल Devansh Jindal

विद्युती अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल सेक्टर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Customer name /
पात्रक का नाम:
BHUDESH
Beneficiary name /
साधारण का नाम:
RAJASTHAN CAMPA
Beneficiary bank name /
साधारण के बैंक का नाम:
UNION BANK OF INDIA
Transaction reference
number / संदर्भ संख्या: ICICR52022070500608714

Customer Acknowledged

... भावक का चाहूँ

Date: 05072022

Mode of payment /
प्राप्तान का प्रकार: RTGS
Beneficiary account
number/साधारण का खाता नंबर: 150857014
Amount / रकम: 235751 = 00

Name and signature of Bank official / बैंक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:



1771

→ MA/SM/DJ

द्यावरपुर जामिनी




कार्यालय उप वन संरक्षणसी मरुतपुर

क्रमांक / एक () एफसीए / उवस/ 2022/ ५२६४
गिरिता

प्रबन्धक,

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
कोटा रिटेल क्षेत्रीय ३-ए-५,
रघवाड़ी मैन रोड, तलबड़ी, कोटा।



16/06/2022

Sub:- Construction Of Approach Access For Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet On NH-11 (New NH-21) LHS on Khasara No 476, Chainage 75/776 TO 75/824, At Village - Sewla, Tehsil- Nadbai, District-Bharatpur(Rajasthan) (FP/RJ/Approach/149575/2021).

सन्दर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्र क्रमांक प.1 (65)वन/ 2022 जयपुर, दिनांक 09.06.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्र क्रमांक प.1 (65) वन/ 2022 जयपुर, दिनांक 09.06.2022 के द्वारा :- Construction Of Approach Access For Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet On NH-11 (New NH-21) LHS on Khasara No 476, Chainage 75/776 TO 75/824, At Village - Sewla, Tehsil- Nadbai, District-Bharatpur(Rajasthan) (FP/RJ/Approach/149575/2021). की सौदान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की गई है। जिसकी छायाप्रति आपको संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः आप सौदान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 16 तक जो आपसे सम्बद्धित है उनकी पालना रिपोर्ट, मांग राशि जागा कराने के साथ प्रस्तुत करें एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सौदान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित कर, समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें साथ ही आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया जावे। मांग राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	दर राशि (₹० में)	राशि (₹. में)	वि.वि
1	2	3	4	5	6
1	नेट ऐजेंट वैल्यू (NPV)	0.1409	9,57,780	1,34,951 ₹. For ecoclass -III Open Forest	OSMFWP (Online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जावे।
2	Cost of Compensatory Afforestation	100 पेड (10 वर्षों तक रखखाद हेतु)	-	1,00,800 ₹०	
		योग		2,35,751 ₹०	

संलग्न:- सौदान्तिक स्वीकृति

(अभियन्तु सहारण)

उप वन संरक्षक

भरतपुर

दिनांक :

क्रमांक / एक () एफसीए / उवस/ 2020-21/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।

उप वन संरक्षक

भरतपुर

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिही अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोट रिटेल
Kota Road



क्षेत्रीय कार्यालय

05644-228114

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

रा.प्र.नि.मं./भरतपुर/सामा.-148/1386

दिनांक 12.12.19

अति. जिला कलक्टर

एवं प्रभारी अधिकारी

राजस्व अनुभाग, कलैक्ट्रेट, भरतपुर।

विषय :- प्रार्थना पत्र श्रीमती रेखा कुमारी पत्नि श्री दीवान सिंह जाट निवासी ग्राम खेड़ली गडासिया तहसील बयाना एवं श्रीमती भूदेश पत्नि श्री नाहरसिंह जाट निवासी ग्राम टांडा तहसील व जिला भरतपुर बावत् ग्राम सेवला तहसील नदबई स्थित आराजी खसरा नं. 476 रकबा 0.28 हैक्टे. में से 1883.69 वर्गमीटर का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि खपान्तरण।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक राजस्व/12/3 ()/2019/8371 दिनांक 26.11.2019।

संदर्भ :- मु.का. द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक F.16(CD-Gen-1)Bikaner/RPCB/1214-1284 Dated 26.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं आपके संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि मण्डल मुख्यालय, जयपुर के आदेश क्रमांक F.16(CD-Gen-1)Bikaner/RPCB/1214-1284 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार भूमि खपान्तरण सम्बन्धित प्रकरणों में मण्डल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सलाह दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (प्रति संलग्न)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच.आर. कसाणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भरतपुर

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
विक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिलाय / Kota Reliat Ray
कोटा रिलाय लिमिटेड / Kota Reliat Ray Limited

Condition No. 01

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)" के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
विद्वान अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल शॉप, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Name:

Office Seal & Signature:
Designation:

Munjal
‘उप वन संरक्षक’
भरतपुर (राज.)

Condition No. 02

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
Name: / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा, राजस्थान
Office Seal & Signature:
Kota Refinery, Hindustan Petroleum Corporation Limited
Designation:

Devansh Jindal
उप वन संस्थक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 03

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil - Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil - Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्स्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
किंवा अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)

कोटा कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Kota Refill

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Manoj
उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 04

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल Devansh Jindal
विक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटल शॉप, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Manu
उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 05

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

Name: 
Office Seal & Signature:
Designation: Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिजन विलेज, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited


उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 06

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
Name: सेल्स ऑफिसर / Sales Officer (Bharatpur)
Office Seal & Signature:
Designation: Hindustan Petroleum Corporation Limited

Maneck
उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 07

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING


प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)"के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:


देवांश जिंदल / Devansh Jindal
सेल्स ऑफिसर / Sales Officer (Bharatpur)

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:


मनोज
उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 8

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
विप्री सेल्स ऑफिसर / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिझर्व
Kota Ref: _____
Name: _____
Office Seal & Signature: _____
Designation: _____

Manav
उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No.09

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan), District – Bikaner(Rajasthan)" हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:


देवांश जिंदल / Devansh Jindal
विषयी अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोष दिल्ली / Kota Refinery
Name: _____
Office Seal & Signature: _____
Designation: _____


मानोज
उथ वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No.10

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District–Bharatpur (Rajasthan), District–Bikaner(Rajasthan)" हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
Name: सेल्स ऑफिसर / Sales Officer (Bharatpur)
Office Seal & Signature:
Kotla Mau, Rajasthan, India
Designation: Petroleum Corporation Limited

Devansh Jindal
उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No.11

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)" के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांशु जिंदल
विक्री अधिकारी
कोटा रेटेल ऑफिस
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Name: Devansh Jindal
Office Seal & Signature:
Designation: Kota Retail Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Manav
उप खन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No.12

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil - Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा वचन दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपार्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि ₹.1,00,800/- (अक्षरे रूपये एक लाख आठ सौ मात्र) UTR. NO. ICICR52022070500608714 द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
विक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल होर्स, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Name:

Office Seal & Signature:
Designation:

Devansh
उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 13

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि रु.1,34,951/- (अक्षरे रूपये एक लाख चौतीस हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) **UTR. NO. ICICR52022070500608714** कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:


देवांश जिंदल Name: Devansh Jindal
बिहारी अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
Office Seal & Signature:
कोटा प्रिवेट लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Designation: Manager (Sales) Corporation Limited


उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 14

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:


देवांश झिंडल Devansh Jindal
विभागीय अधिकारी
कोटा रेलवे स्टेशन
Name: Assistant Officer (Bharatpur)
Office Seal & Signature:
Designation: Assistant Officer (Bharatpur)


उदय बुशन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 15

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil - Nadabai, District - Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:


देवांश जिंदल / Devansh Jindal
विक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल रेटल ऑफिस, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Name: _____
Office Seal & Signature: _____
Designation: _____


उत्कर्ष संकरक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 16

Full title of the Project : Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा वचन दिया जाता है कि “Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)” हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:


देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रियल एजेंसी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Name:
Office Seal & Signature:
Designation:


उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

FORM-II
(For linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bharatpur

No. :Rev / 12 / 12()2022 / 7442

date : 01 / 12 / 2022


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.1409 Hac. of forest land for construciton of Approach access for propose Hindustan petroleum Corporation Limited retail outlet on (NH no 21 LHS on Khasra no. 476, Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur) of forest land in favour of for FRA in Bharatput District falls within jurisdiction of subdivision Nadbai .**

It is further certified that:

- The complete process for identificatin and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1409 hac.** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized right of Primitive Trbal Group and pre agricultural communities.

Encl; As above


(Alok Ranjan)
District Collector
Bharatpur


date : 01 / 12 / 2022

No. :Rev / 12 / 12()2022 / 7443 -46

Copy forwarded to:

- 1- CEO Zila prishad bharatpur
- 2- DFO Bharatpur
- 3- Sdm Nadbai
- 4- Tehsildar Nadbai


देवांश जिंदल Devansh Jindal
विधी अधिकारी Office of the Collector (Bharatpur)
कोटा रियासत, राजस्थान, भारत
Kota Retail Region, HP


District Collector
Bharatpur



कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 18.11.2022 को Diversion of 0.1409 ha. Of forest land for construction of Approach access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on NH-11(New NH-21) LHS on Khasra no. 476. Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत गठित कमेटी के सदस्यों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। प्रपत्र अ अनुसार अधिकारीगण / सदस्यगण उपस्थित आये।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। उक्त बैठक में Diversion of 0.1409 ha. Of forest land for construction of Approach access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on NH-11(New NH-21) LHS on Khasra no. 476. Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur पर चर्चा की गई।

ग्राम पंचायत करही पंचायत समिति नदबई द्वारा अपने पत्रांक 12 दिनांक 29.06.2022 से अवगत कराया गया है कि 'प्रकरण में स्थापित होने वाले पेट्रोल पम्प जो कि एन०एच० 21 पर स्थित है, के सामने स्थित 0.1409 हैक्टे वन भूमि के डायर्वर्जन से सम्बंधित है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पूर्व खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 चैनेज 75/776 से 75/824 ग्राम सेवला तहसील भरतपुर पर स्थित है। एन०एच० 21 पूर्व एन०एच० 11 एवं खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 के मध्य स्थित वन भूमि एन०एच० 21 पूर्व एन०एच० 11 एवं खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 के मध्य स्थित वन भूमि 0.1409 हैक्टे में कोई जन जाति निवास नहीं करती है और ना ही किसी के हित प्रभावित होते हैं। चूंकि कोई भी जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करता है, इसलिये किसी भी व्यक्ति के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत करही द्वारा एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 04.12.2020 से अवगत कराया है कि उपखण्ड क्षेत्र नदबई में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है एवं उक्त प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत नहीं आता है। एवं उक्त आराजी पर उक्त एकत के तहत किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। साथ ही एफ.आर.ए. हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0.1409 हैक्टे है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये बैठक में प्रकरण में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसी आशय के साथ बैठक संधन्यवाद समाप्त की गई।

(आलाक रंजन)
जिला कलक्टर

भरतपुर
दिनांक 01/12/2022

क्रमांक/राजस्व/12/12()/2022/7439-41

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
3. अतिऊमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।

अतिऊमुख्य कलक्टर
भरतपुर

टेलीफोन: 05644-223355 | फैक्स: 05644-223086(O), 223316(R) | ईमेल: rajbha@nic.in

॥ बैठक कार्यवाही विवरण ॥

धावत् अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वर्म निवासी के संबंध में दिनांक 04.12.2020

आज दिनांक 04.12.2020 को समय शाम 04:00 बजे स्थान उपखण्ड कायालय तदबीर में श्रीमान जिला कलवटर महोदय, भरतपुर द्वारा जारी पत्रांक राजस्व/15/1()2020/9346 दिनांक 05.10.2020 एवं 9224 दिनांक 30.09.2020 बाबत Diversion of 0.8746 ha. Of forest land in favour of Indian oil corporation limited (IOCL) for construction of Approach road for proposed Indian oil corporation limited retail outlet on Bharatpur Jaipur road (NH-21) Between km stone 85-86 (Chainage : 85+972.00-86+014.55) khs in khasra no 2994 at village Aroda Tehsil Nadbai Bharatpur एवं पत्रांक राजस्व/15/1()2020/9224 दिनांक 30.09.2020 Forest land diversion proposal for 0.0536 ha. Forest land for Hindustan Petroleum Corporation Ltd. For Construction fo Approach road for proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail outlet on Bharatpur Jaipur Road (NH-21) His side on khasra no 476 Chainage 75/776 to 75/824 village sewla tehsil nadbai Bharatpur की पालना में उपखण्ड अधिकारी, तदबीर की अधीक्षा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन नियासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2005 के तहत गठित कमेटी द्वारा सदस्यों की ऐतक आयोजित की गई। जिसमें निम्न सदस्य एवं अधिकारियों ने भाग लिया, जिनका विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं	नाम अधिकारी / सदस्य	पद	पदस्थापन स्थान	वस्ताकार
1.	श्री सोदान सिंह	दिक्षिकारी (सदस्य)	पंचायत समिति, नदबाह	✓
2.	श्री विक्रम सिंह मीना	क्षेत्रिय दल अधिकारी (सदस्य)	नदबाह	✓
3.	श्री पंजाब सिंह	थानाधिकारी (सदस्य)	थाना लखनपुर	✓

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए बैठक कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। उपखण्ड क्षेत्र नदबहू में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य मानित नहीं होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उक्त बैठक में श्रीमान जिला काठिर महोदय भरतपुर से प्राप्त प्रकाशणों पर धर्या की गई। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अंग लिया गया कि उपखण्ड क्षेत्र नदबहू में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है एवं उथक दोष प्रकाशन अनुसूचित जनजाति और अन्य पश्चिमरागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
विप्री 31 / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल सेन्टर, बहुमत अभियान, कामोदीपाल, रिटेल

दोनों प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत घन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। एवं उक्त आराजी पर उक्त एकट के तहत उक्त दोनों प्रकरणों में किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

उक्त प्रकरणों के अलावा बैठक में धर्म योग्य कोई प्रकरण नहीं होने से बैठक इसी रूपर पर समाप्त की गई

तत्पश्चात् बैठक समाप्त की गई।

(हिमराज गुर्जर)
उपर्युक्त अधिकारी एवं
उपर्युक्त मजिस्ट्रेट,
नदबर्ह (भरतपुर)
दिनांक : 15 / 12 / 2020

संग्रह : राजस्व / ब.का.वि. / 20 / 16427-30

प्राप्तिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।
2. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नदबर्ह।
3. क्षेत्रिय घन अधिकारी, नदबर्ह।
4. थानाधिकारी, लखनपुर।

(हिमराज गुर्जर)
उपर्युक्त अधिकारी एवं
उपर्युक्त मजिस्ट्रेट,
नदबर्ह (भरतपुर)

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिहारी अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोट रिटेल रोड, लिलालपुर ऐंट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

卷之三

Industries. Pella is probably the principal center of lumbering in the state. White pine is largely raised.

SIC 12-10 Bellanca 19

100-112

संक्षिप्त विवरण

مکالمہ علی

Afternoon

देवांशु जिंदल / Devansh Jindal
 रिकॉर्ड ऑफिसर / Record Officer / रिकॉर्डर



कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 18.11.2022 को Diversion of 0.1409 ha. Of forest land for construction of Approach access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on NH-11(New NH-21) LHS on Khasra no. 476. Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत गठित कमेटी के सदस्यों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। प्रपत्र अ अनुसार अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित आये।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। उक्त बैठक में Diversion of 0.1409 ha. Of forest land for construction of Approach access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on NH-11(New NH-21) LHS on Khasra no. 476. Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur पर चर्चा की गई।

ग्राम पंचायत करही पंचायत समिति नदबई द्वारा अपने पत्रांक 12 दिनांक 29.06.2022 से अवगत कराया गया है कि 'प्रकरण में स्थापित होने वाले पेट्रोल पम्प जो कि एन०एच० 21 पर स्थित है, के सामने स्थित 0.1409 हैक्टे वन भूमि के डायर्वर्जन से सम्बंधित है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पूर्व खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 चैनेज 75/776 से 75/824 ग्राम सेवला तहसील भरतपुर पर स्थित है। एन०एच० 21 पूर्व एन०एच० 11 एवं खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 के मध्य स्थित वन भूमि एन०एच० 21 पूर्व एन०एच० 11 एवं खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 के मध्य स्थित वन भूमि कोई भी जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करती है और ना ही किसी के हित प्रभावित होते हैं। चूंकि कोई भी जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करता है, इसलिये किसी भी व्यक्ति के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत करही द्वारा एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 04.12.2020 से अवगत कराया है कि उपखण्ड क्षेत्र अधिकारी नदबई द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 04.12.2020 से अवगत कराया है कि उपखण्ड क्षेत्र नदबई में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है एवं उक्त प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत नहीं आता है। एवं उक्त आराजी पर उक्त एक्ट के तहत किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। साथ ही एफ.आर.ए. हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0.1409 हैक्टे है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये बैठक में प्रकरण में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसी आशय के साथ बैठक संधन्यवाद समाप्त की गई।

(आलंकृत रंगन)
जिला कलक्टर

भरतपुर
दिनांक 01/12/2022

क्रमांक/राजस्व/12/12()/2022/7439-41

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
3. अतिमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।

20/12/2023
26/12/2023
27/12/2023

अतिमुख्य कार्यकारी अधिकारी
भरतपुर



2nd Gen.1.doc

1334

Fax: (05644) 223355 Phone: 223086(O), 223316(R) Email : rajbha@nic.in

1. नियम सम्मत
2. अधिकारी के द्वारा दिया गया
3. नियम सम्मत
4. नियम सम्मत देने वाले व्यक्ति का दायर्वर्जन
5. नियम सम्मत देने वाले व्यक्ति का दायर्वर्जन
20/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
30/12/2023

FORM-II
(For linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bharatpur

No. :Rev / 12 / 12()2022 / 7442

date : 01/12/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.1409 Hac. of forest land for construction of Approach access for proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on (NH no 21 LHS on Khasra no. 476, Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur) of forest land in favour of FRA in Bharatpur District falls within jurisdiction of subdivision Nadbai .**

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1409 hac.** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
 - b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
 - c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Group and pre agricultural communities.

Encl; As above

~~(Alok Ranjan)~~
District Collector
Bharatpur

date : 01/12/2022

No. :Rev/12/12()2022/7443-46

Copy forwarded to:

1- CEO Zila prishad bharatpur

2- DFO Bharatpur

3- Sdm Nadbai

~~District Collector
Bharatpur~~



5644) 223355 Phone: 223086(O), 223316(R) Email : rajbha@nic.in

